न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /~~2018~~ निगरानी–305/2018/दतिया/भू.रा.

श्री S.P. Dhakad Adv.
द्वारा आज दि. 17/05/18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक बहस हेतु
दिनांक 25-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 17/5/18

1. सतेन्द्र दांगी ना.वा. पुत्र बहादुर सिंह दांगी सर. पिता बहादुर सिंह दांगी
2. शिवम दांगी ना.वा. पुत्र ओमकार दांगी सर. पिता ओमकार दांगी निवासी ग्राम सुजेड तहसील व जिला दतिया म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती रामजानकी पत्नी रज्जन दांगी निवासी ग्राम चरबरा हाल निवास ग्राम खिरिया घोंघू तहसील व जिला दतिया म.प्र.
2. मुस. खिम्कू वेवा शियाशरण दागी निवासी ग्राम चरबरा तहसील व जिला दतिया म.प्र.

—— अनावेदकगण

17-5-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्र.क. 38/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 15.05..2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, कृषक ग्राम चरबरा रा. नि.म. इमिलिया तह. व जिला दतिया की कृषि भूमि सर्वे क. 38, 404, 818, 827, 834/1 कुल किता 5 कुल रकवा 2.33 हेक्टर भूमि के सह भूमिस्वामी

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/3051/2018/दतिया/भू.रा./

सतेन्द्र दांगी विरूद्ध श्रीमती रामजानकी

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18/5/18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया। 2- यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2017-2018 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है निगरानी मेमो में अंकित होने से यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु अंकित तथ्यों पर विचार किया जावेगा। प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 15.05.18 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले प्रकरण में मात्र धारा 5 पर वहस सुने जाने का लेख किया गया है पुनः उसी क्रम को आगे बढाते हुए अंकित किया गया कि वहस श्रवण करने के उपरांत व प्रकरण के अवलोकन उपरांत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम वहस भी श्रवण की और प्रकरण धारा 5 व अंतिम आदेश हेतु नियत किया गया। उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में पहले धारा 5 पर ही बहस श्रवण की गयी है और उसी पर पहले निर्णय किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अंतिम तर्क श्रवण किए जाने के संबंध में ऐसी कौन सी परिस्थिति तत्काल ही उपस्थित हो गयी जिसके कारण अंतिम तर्क भी सुनने की आवश्यकता हुई उन	

प्रथम प्रकरण

द्वितीय प्रकरण

तृतीय न प्रकरण क्र

रिव्यू/रेस्ट प्रकरण क्रम

दिनांक :

नोट :–

~~प्रकरण क्रमांक दो0निग0अशो0/भू.रा./2017/1638~~

~~[illegible] चन्द विरूद्ध म0प्र0शासन~~

प्रकरण क्रमांक 3851/2018/ निगरानी/ भू-रा.

परस्थितियों का भी आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है/

4- परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 15.05.18 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के तहत पहले धारा 5 पर सुनवाई कर आदेश पारित करें तत्पश्चात प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा0रि0हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
18/7/18
सदस्य